

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराजा
हदय शर्मा वनाम बालकिशन
रम मुकदमा आंपत्र 212 R.T.A. नं० 93 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>17-3-21 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेशा हुई। वकील आर्चीगण उपस्थित आये। आर्चना पत्र 212 R.T.A. दर्ज रजिस्टर्ड है। वकील आर्चीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। आर्चीगण सुन्तलन श्री आर्चीगण के पत्र में साबित प्रतीत हैं।</p> <p>अतः अपाचीगण की अस्थाई निषेधाज्ञा - चन्दरीजा से आगामी दिनांक तक पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आ.ख. 554, 555, 560, 574, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 795 / 2134 व 1430, 1432 वाले ग्राम गाँव तहसील नीमराजा जिला अलवर (राज.) के राजस्व रिकार्ड की आधारित बनाये रखे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं या जरूरत अधिवक्ता, धांपिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अपाचीगण की मोटिस जारी कर बाद तलबी पत्रावली दिनांक 6-5-21 को पेशा है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराजा (अलवर) राज

309
23 आज पत्रावली पेश हुई। चक्रवर्ती फरीकोन
जय श्री पीठारीय अधिकारी अवकाश/वीरे
मिडिंग में पधार है। पत्रावली उनके
समक्ष दि० 13-7-23 को पेश हो।

13-7-23 आज पत्रावली पेश हुई। चक्रवर्ती फरीकोन
जय श्री पीठारीय अधिकारी अवकाश/वीरे
मिडिंग में पधार है। पत्रावली उनके
समक्ष दि० 2-11-23 को पेश हो।

2-11-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार राम नीमराना द्वारा कबरी
स्वयंभुव किरो जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रामनी पूर्व
आदेशिकाकुलार अतिम कार्यावली हेतु दिनांक 12-6-24
को पेश ले।

रीडर

12-6-24 आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली
में मूल वाद नोट प्रेस में खारिज हो चुका
है। अर्थात् वकील में ज्ञापन भी नोट प्रेस
किया है। अतः अर्थात् का ज्ञापन नोट
प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रा.
कैसल शुमार दोकर नम्बर में बम हो।
बाद प्रति संलघन मूल वाद रहे।

1001 10008
5000
12/6/24

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-करोड़)